Annexure No-7

पंजीयन संख्या –UPBP040005042021/2015

मुकदमा अपराध संख्या –60/2015

राज्य बनाम हसनू

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, बलरामपुर, कक्ष संख्या –12

पंजीयन संख्या –UPBP040005042021/2015

उपस्थित: शशि गौतम (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

उत्तर प्रदेश राज्य.....अभियोजनपक्ष।

बनाम

हसनू पुत्र बब्बू उम्र करीब 42 वर्ष ,निवासी –झौबा ,थाना– गौरा चौराहा ,जनपद बलरामपुर.....अभियुक्त/बचाव पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या –60/2015

मुकदमा संख्या –214/2021/2015

अन्तर्गत धारा –279,304A IPC

व धारा –184 MV Act

थाना –महाराजगंज तराई

जनपद– बलरामपुर

निर्णय

1. यह आपराधिक वाद मुकदमा अपराध संख्या– **60/2015**,अंतर्गत धारा–**279,304A** भारतीय दंड सहिता 1860 व धारा–**184 MV Act** थाना–महाराजगंज तराई ,जनपद बलरामपुर मे विवेचक द्वारा अभियुक्त **हसनू** के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर संस्थित किया गया है। विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित कर अभियुक्त उपरोक्त को दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन कथानक का संक्षिप्त विवरण

2. संक्षेप में अभियोजन का मुख्य कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा प्रभु पुत्र बेचई निवासी– गंगाडीह थाना महाराजगंज तराई जनपद बलरामपुर द्वारा लिखित तहरीर प्रदर्श–संख्या क 1 इस आशय की थाने पर दी गई थी कि दिनांक 03.02.2015 को सुबह करीब 9:30 बजे उसका बेटा अर्जुन उम्र 12 वर्ष कौवापुर मोड़ के आगे तुलसीपुर रोड की तरफ जा रहा था जब वह गंगोत्री शिक्षण संस्थान के सामने पहुंचा कि तुलसीपुर की तरफ से सफारी गाड़ी काले रंग की जिसका नम्बर UP47J/2548 का चालक तेज व

Duly attested
Court

लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए उसके लड़के की तरफ आकर टक्कर मार दी जिससे उसके लड़के की मौके पर मृत्यु हो गई।

3. उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात के रुप में मुकदमा अपराध संख्या 60/ 2015 अंतर्गत धारा–**279, 304A** भारतीय दंड सहिता 1860 व धारा–**184 MV Act,** थाना–**महाराजगंज तराई** जनपद बलरामपुर में पंजीकृत हुआ, जिसमें दौरान विवेचना अभियुक्त हसनू का नाम प्रकाश में आया। विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा –**279, 304A** भारतीय दंड सहिता 1860 व धारा–**184 MV Act** में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में दिनांक–10.03.2015 को प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त की हाजिरी हेतु आदेशिकाएं जारी की गई। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित हुआ एवं अभियुक्त द्वारा अपनी जमानत कराई गई । न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा–207 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आने वाले प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गई।

5. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 10.04.2015 को अंतर्गत धारा–**279, 304A** भारतीय दंड सहिता 1860 व धारा–**184 MV Act,** अंतर्गत **बयान मुल्जिम** अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोपों से इनकार किया गया एवं विचारण की मांग की गई।

6. अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के तौर पर अभियोजन साक्षी संख्या 1 के रुप मे –प्रभु उम्र 50 वर्ष पुत्र बेचई, अभियोजन साक्षी संख्या–2 के रुप मे लक्ष्मण प्रसाद पुत्र बद्री प्रसाद उम्र 56 वर्ष पेशा खेती अभियोजन साक्षी संख्या–3 के रुप मे राम सागर यादव पुत्र– ब्रजमोहन यादव ,एवं न्यायालय द्वारा धारा– 311 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत साक्षी अनूप पाल सिंह को आहूत किया गया जिसे न्यायालय के समक्ष सशपथ परीक्षित कराया गया है शेष तथ्य के साक्षीयो के संबंध में वादी मुकदमा द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अग्रसारित किया गया। उक्त के आधार पर उन्मोचन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया गया ।

7. अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य मे तहरीर वादी मुकदमा प्रदर्श क–1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार करने के बाद अभियोजन साक्ष्य पूर्ण हुआ तत्पश्चात अभियुक्त हसनू का बयान अंतर्गत धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता दिनांक 27.01.2022 को न्यायालय में अंकित किया गया है जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक की सत्यता के संबंध में कुछ नहीं कहने का कथन किया है एवं अपनी सफाई में कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करने से इनकार किया।

8.अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–A में दिए गए प्रावधानों के क्रम में 6 माह की अवधि के लिए ₹25000 (पच्चीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू इस आशय के प्रस्तुत किये गये कि वह इस मामले में अपील योजित होने की स्थिति में सुनवाई हेतु माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य होगें।

अभियोजन साक्ष्य

9– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी संख्या –1 श्री प्रभु उम्र 50 वर्ष पुत्र बेचई ने अपने बयान में यह कथन किया है कि घटना लगभग दो माह पूर्व की है सुबह 9;00 बजा था। वह अपने रिश्तेदारी में गया था। गांव वालों ने फ़ोन से सूचना दिया , तब वह घर आया तो मौको गांव वाले उसके लड़के का शव घर पर उठा लाए थे तब उसने थाने पर जाकर लोगों के बताने के अनुसार अपने लड़के अर्जुन उम्र 13 वर्ष की दुर्घटना, जो कौवापुर मोड़ के आगे गंगोत्री शिक्षण संस्थान के सामने हुई थी। सूचना थाने पर एक आदमी

Self attested

7/2

से लिखवाकर अंगूठा बनवा कर दिया था। पत्रावली में संलग्न तहरीर को साक्षी को पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने उसे तस्दीक किया जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया । उसके लड़के के शव का पुलिस वाले ने पंचायतनामा कराया था जिसके अनुसार दुर्घटना में मृत्यु होना बताया गया था पंचायतनामा पत्रावली में संलग्न है उक्त साक्षी की प्रति परीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं निकला है जो अभियोजन कथानक से असंगत हो या विपरीत हो।

10– अभियोजन साक्षी संख्या –2 लक्ष्मण प्रसाद पुत्र बद्री प्रसाद उम्र 56 वर्ष,पेशा खेती ने अपने बयान मे कथन किया है कि घटना आज से लगभग घटना कितने दिन पहले की है उसे याद नहीं वह कौवापुर मोड़ पर चाय पी रहा था कि देखा कि एक काले रंग की सफारी तुलसीपुर की तरफ से आती हुई एक लड़के को ठोकर मार दी उसने देखा तो वह मेरे गांव का अर्जुन था । जिसकी ठोकर लगने से मृत्यु हो गई थी। गाड़ी का नंबर उसे याद नहीं है दारोगाजी ने उसका बयान दिया था।उक्त साक्षी की प्रति परीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं निकला है जो अभियोजन कथानक से असंगत हो या विपरीत हो।

11–अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य संख्या–3 ने अपने बयान में यह कथन किया है कि घटना करीब छह वर्ष पूर्व की है व कौवापुर मोड़ पर चाय पी रहा था तो वहाँ भीड़ को इकट्ठा देखकर वह भी वहाँ पर पहुंचा तो देखा कि एक लड़के को चोट लगी है किंतु उसने किसी वाहन को टक्कर मारते हुए नहीं देखा मौके पर उपस्थित पुलिस ने पंचनामा के लिए कहा तो उसने पंचायतनामा पे अपना हस्ताक्षर कर दिया पंचायत नामा पत्रावली पर संलग्न है जिसपर उसके हस्ताक्षर है जिसकी वह पहचान करता है जिसपर पूर्व में प्रदर्श क–१ वन डाला जा चुका है। उक्त साक्षी की प्रति परीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं निकला है जो अभियोजन कथानक से असंगत हो या विपरीत हो।

12–न्यायालय द्वारा धारा–311CRPC में प्रदत्त शक्तियां के अधीन साक्षी अनुपपाल सिंह जो कि अभिकथित वाहन बोलेरो के वाहन स्वामी हैं को बतौर साक्षी के रूप में आहुत किया ,जिसके द्वारा दिये गये अभिसाक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उपरोक्त काले रंग की बुलेरो जिसका नम्बर UP47J/2548 को अभियुक्त हसनू द्वारा चलाया जाता है और उसने इस मुकदमे में उसकी जमानत भी कराई थी। सशपथ यह कथन किया कि हसनू उसका ड्राइवर है उसने हसनू की इस मुकदमे में जमानत लिया है इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी के साक्ष्य में अन्य कोई ऐसा तथ्य नही है जो पूर्णरुप से विरोधाभासी या असंगत हो।

13. मेरे द्वारा राज्य/अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री फूलचन्द व अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलेश्वर सिंह के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का गहन परिशीलन किया गया।

विचारणीय बिंदु

प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित बिंदु विचारणीय है:

1. क्या अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक में वर्णित स्थान, दिनाक व समय पर लोक मार्ग पर लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से गाड़ी काले रंग की बुलैरो (वाहन) संख्या–UP47J/2548 चलाते हुए वादी मुकदमा के बेटे को टक्कर मारी गई, टक्कर लगने के कारण मौके पर ही वादी मुकदमा के बेटे की मृत्यु हो गई जो कि धारा जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 A के अंतर्गत दंडनीय अपराध है?

2. क्या अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक में में वर्णित स्थान, दिनाक व समय पर लोक मार्ग पर गाड़ी काले रंग की बुलैरो (वाहन) संख्या–UP47J/2548 उतावलेपन से चलाया गया और जिससे मानव जीवन हेतु संकट उत्पन्न हो गया जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है ?

3. क्या अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक में वर्णित स्थान दिनाक व समय पर पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाया गया जोकि मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 184 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है?

4. प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय को यह निर्णय करना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नही?

न्यायालय का निष्कर्ष

15–बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन कथानक के अनुसार घटना का समय 9:00 बजे बताया जा रहा है जबकि थाने पर सूचना 11:30 बजे दी गई है जो कि अत्यंत विलंब से दी गयी है जिसपर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए और अभियुक्त को उक्त के आधार पर दोषसिद्ध नही किया जाना चाहिए।

16– उक्त तर्क का खण्डन करते हुए विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रथम सूचना दर्ज कराने में हुआ मामूली विलब अभियोजन कथानक को संदेहस्पद नही बनाता है ।

17– उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने **गोपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1999 आर 0 एल 0 जे 2501** के अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को ज्ञान कोष के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और ना ही ज्ञानकोष की भांति संपूर्ण घटनाक्रम अपने संपूर्ण विस्तार के साथ में वर्णित होना अपेक्षित है इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य महत्वपूर्ण निर्णय **कुलवंत सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य 2013 सी0 आर 0 एल 0 जे0 पेज 2199 एस 0 सी0 सी0** में अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुआ विलंब अभियोजन के संपूर्ण वाद को व्यक्त करने का आधार नही हो सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी अन्य महत्वपूर्ण विधि व्यवस्था **तारा सिंह बनाम पंजाब राज्य ए०आई०आर 1991 पेज नंबर 63** में अभिनिर्धारित किया है कि एफ 0 आई 0 आर 0 में देरी स्वयं में अभियोजन के केस पर संदेह करने के लिए आधार नहीं है भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी व्यक्ति यह आशा नहीं रख सकता कि घटना के तुरंत बाद थाने जाएंगे और मशीनी रूप से पूर्ण शीघ्रता के साथ रिपोर्ट लिखाने जाएंगे। बहुतदा दु:ख से पीड़ित व्यक्ति घटना के तुरंत बाद रिपोर्ट लिखाना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत स्वाभाविक है कि वह थाने पर रिपोर्ट लिखने में कुछ समय लगाएंगे। उक्त आशय का सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मुकेश एवं अन्य बनाम एन०टी०सी दिल्ली एवं अन्य 2017(2) सी 0 सी 0 एस 0 सी पेज 914 (एस 0 सी)** प्रतिपादित किया है कि एफ 0 आई 0 आर देरी से दर्ज किए जाना विभिन्न कारणों पर निर्भर करेगा। यहां तक कि एक विस्तृत विलंब को भी माफ किया जा सकता है।

18–उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में वादी मुकदमा के बेटे अर्जुन की ,अभियुक्त हसनू द्वारा लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्ण, लापरवाही पूर्ण एवं खतरनाक तरीके से चलायी जा रही काले रंग की बुलैरो (वाहन) संख्या–UP47J/2548 की टक्कर से मृत्यु हो गई थी ,जिससे यह स्वाभाविक है कि वादी मुकदमा की स्थिति उस समय अत्यंत दुखद रही होगी, जिससे संभलने में वादी मुकदमा को कुछ समय अवश्य ही लगा होगा। जो कि सामान्य मानवीय आचरण के अनुरूप भी है जिसके पश्चात उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी

Adl attested

मुकदमा द्वारा उसी दिन दर्ज कराई गई जो अत्यंत विलंब नहीं है अर्थात इतनी देरी नहीं है जिससे अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न हो।

19–अतः उपरोक्त विवेचन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं के आलोक में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है। इस प्रकार अपराध अंतर्गत धारा–279, 304A भारतीय दंड संहिता व धारा–184 **मोटर यान अधिनियम 1988** के बाबत पत्रावली पर सुसंगत व सार्थक साक्ष्य उपलब्ध हैं। जिससे यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त हसनू द्वारा लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्ण , लापरवाही पूर्ण एवं खतरनाक तरीके से काले रगं की बुलैरो (वाहन) संख्या–UP47J/2548 चलायी जा रही थी ,जिसकी टक्कर से वादी मुकदमा के बेटे अर्जुन की मौके पर ही मृत्यु हो गयी जोकि भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 304A, एवं धारा–184 **मोटर यान अधिनियम 1988** दंडनीय अपराध कारित किया गया है।

20. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण ने अभियुक्त हसनू को प्रश्नगत वाहन काले रगं की बुलैरो (वाहन) संख्या–UP47J/2548 को घटना के समय चलाते हुए नहीं देखा इस प्रकार घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है अत: अभियोजन साक्षीगण के अभिसाक्ष्य पर विश्वास किया जाना न्याय संगत नहीं है। उक्त के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नही किया जा सकता।

21. उक्त तर्क का खण्डन करते हुए अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी साक्षीगण द्वारा प्रश्नगत वाहन काले रगं की बुलैरो (वाहन) संख्या–UP47J/2548 अभियोजन कथानक में वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय पर लोकमार्ग पर अभियुक्त द्वारा चलाये जा रहे वाहन से वादी मुकदमा के बेटे को टक्कर मारने का अभिसाक्ष्य दिया गया है एवं अभियोजन द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जहाँ पर परिस्थितियों स्वयं ही बोलती हैं वहां अन्य किसी तथ्य को साबित करना आवश्यक नहीं है प्रस्तुत प्रकरण में Res Ipsa Loquitur सिद्धांत लागू होता है।

22. उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रवि कपूर बनाम राजस्थान राज्य** के निर्णायक मामले में **Res Ipsa Loquitur** के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह बताया गया था कि **Res Ipsa Loquitur** का सिद्धांत दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है – यह आरोपी पक्ष की ओर से लापरवाही को स्थापित करता है और दूसरा, यह उन मामलों में लागू होता है जहां दावेदार यह साबित करने में सक्षम होता है कि कोई दुर्घटना हुई है लेकिन यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि दुर्घटना कैसे हुई है। हाई कोर्ट ने आई.पी.सी की धारा 304A के तहत राम कपूर को दोषी पाया। वही मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट का निर्णय सही था और अपीलकर्ता को अंत में उत्तरदायी ठहराया गया था। जिसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Thakur Singh Vs. State of Punjab (2003) 9 SCC 208**, के मामले में **Res Ipsa Loquitur** के सिद्धांत को लागू करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है और यह भी अवधारित किया गया है कि जहां घटना से ही अपराध की गंभीरता का पता चलता है, वहा उससे अधिक साबित करने के लिए कुछ भी आवश्यक नहीं है।

23. चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में परिस्थितियों स्वयं इंगित करती हैं कि अभियुक्त हसनू द्वारा ही प्रश्नगत वाहन घटना को लोक मार्ग पर उपेक्षा पूर्ण लापरवाही पूर्ण एवं खतरनाक रूप से चलाते हुए वादी मुकदमा के बेटे को टक्कर मारी गई जिससे वादी मुकदमा के बेटे को टक्कर लगने पर उसकी मौके पर मृत्यु हो गई जिसकी संपुष्टि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी साक्षीगण ने भी की है इस प्रकार अभियोजन के उक्त तर्क पर

बल पाया जाता है। अत: उपरोक्त समस्त विवेचन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में यह युक्ति युक्त संदहे से परे साबित माना जाता है कि अभियुक्त हसनू द्वारा धारा–279, 304A भारतीय दंड संहिता व धारा–184 मोटर यान अधिनियम 1988 का अपराध कारित किया गया है।

24–बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी मुकदमा के बेटे अर्जुन की मृत्यु का कारण किसी भी अभियोजन साक्षीगण ने नही बताया है इस बात की संभावना हो सकती है कि मृतक की मृत्यु पेड़ से गिरने या छत से गिरने के कारण हो गयी हो।

25–उक्त तर्क का खण्डन करते हुए विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि किसी विशिष्ट तथ्य का ज्ञान अभियुक्त को है तो उसे साबित करने का भार भी उसी पर होता है।

26. उल्लेखनीय है कि यह बात सही है कि धारा–101 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन अभियोजन को अपना मामला साबित करना होता है अर्थात साबित करने का भार अभियोजन पर होता है किन्तु धार–106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह प्रावधानित करती है कि यदि किसी विशिष्ट तथ्य का ज्ञान अभियुक्त को होता है तो उस तथ्य को सिद्ध करने का भार भी अभियुक्त पर है चूकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त की ओर से कोई भी बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है ना ही उक्त प्रकार का कोई कथन उसके बयांन अन्तर्गत धारा 313 में किया गया है इस प्रकार अभियुक्त अपने इस भार का निर्वहन करने में पूरी तरह से असफल रहा है अर्थात बचाव पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि मृतक की मृत्यु पेड से गिरने या छत से गिरने के कारण आना अधिसंभाव्य थी इसलिए केवल और केवल यह उपधारणा की जयेगी अभियोजन कथानक में वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय अभियुक्त हसनू द्वारा प्रश्नगत वाहन को लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्ण , लापरवाही पूर्ण एवं खतरनाक तरीके से चला कर वादी मुकदमा के बेटे को टक्कर मारी जिससे उसकी मौके पर ही hemorrhage & shocked के कारण मृत्यु हो गयी , जिसकी पुष्टी पत्रावली पर उपलब्ध मृतक की मेडिकल रिपोर्ट से भी होती है।

27– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त की ओर से मात्र अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को स्वीकार किया गया है ना कि उनकी अंतर वस्तु(contents) को। इस प्रकार उक्त के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्याय उचित नही है।

28– उक्त तर्क का खण्डन करते हुए अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन कथानक में वर्णित स्थान दिनांक एवं समय पर अभियुक्त हसनू के द्वारा प्रश्नगत वाहन काले रगं की बुलैरो (वाहन) संख्या–UP47J/2548 को उपेक्षापूर्ण, लापरवाही पूर्ण एवं खतरनाक तरीके से लोकमार्ग पर चलाया जा रहा था जिसके कारण वादी मुकदमा के बेटे अर्जुन को टक्कर मारी गई जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी । टक्कर लगने से मृत्यु का होना अभियोजन साक्षीगण एक लगायत तीन एवं न्यायालय साक्षी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के आधार द्वारा युक्ति युक्त संदेह से परे साबित किया गया है जिसके संबंध में मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हैमरेज एवं शॉक्ड बताया गया है जो कि उसे अभियुक्त हसनू द्वारा चलायी जा रही गाड़ी से लगी हुई टक्कर के कारण हुआ था। बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को स्वीकार कर लिया गया है अत: अभियोजन को उक्त को साबित करने की आवश्यकता नही है जिसके संबंध में धारा–58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रावधानित करती है, स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नही है। अत: अभियोजन कथांनक युक्ति युक्त संदेह से परे साबित है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त के संबंध में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएं दाखिल की गयी है–

1. Saddiq Vs. State of UP, 1981 CrLJ 379 (Allahabad) (Full Bench)

2. Akhtar & Ors vs State Of Uttaranchal on 9 April, 2009 CRIMINAL APPEAL NO. 1590 OF 2007

29. **अभियोजन की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओ का ससम्मान अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Saddiq Vs. State of UP, 1981 CrLJ 379 (Allahabad) (Full Bench) के निर्णय में अभिनिर्धारित किया है** If the prosecution or the accused does not dispute the genuineness of a document filed by the opposite party u/s 294(1) CrPC, it amounts to an admission that the entire document is true or correct. It means that the document has been signed by the person by whom it purports to be signed and its contents are correct. It does not only amount to the admission of it being signed by the person by whom it purports to be signed but also implies admission of correctness of its contents. Such a document may be read in evidence u/s 294 (3) CrPC.

30. इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Akhtar & Ors vs State Of Uttaranchal on 9 April, 2009 CRIMINAL APPEAL NO. 1590 OF 2007 निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है कि विधि का यह सुस्थापित नियम है यदि किसी प्रकरण के पक्षकार द्वारा दाखिल किये गये दस्तावेज की वास्तविकता/सत्यता पर विरोधी पक्ष द्वारा विवाद नहीं किया जाता है, तो इसे धारा 294 सीआरपीसी की उप–धारा (3) के तहत वास्तविक साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है।

31. अतः उपरोक्त विवेचन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं के आलोक में विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा दिये गये तर्क में बल पाया जाता है एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में बल नही पाया जाता है। इस प्रकार यह प्रमाणित माना जाता है कि अभियुक्त हसनू द्वारा अपराध अंतर्गत धारा–279, 304A भारतीय दंड संहिता व धारा–184 मोटर यान अधिनियम 1988 कारित किया गया।

32.उपरोक्त संपूर्ण विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य के परिशीलन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि **अभियुक्त हसनू पर लगे आरोप अन्तर्गत धारा– 279, 304A** भारतीय दंड सहिता 1860 व धारा–**184 MV Act, अभियोजन पक्ष की ओर से युक्ति युक्त संदेह से परे साबित किये गये है अत अभियोजन उक्त आरोपो को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है** अर्थात अभियुक्त हसनू को धारा – **279, 304A** भारतीय दंड सहिता 1860 व धारा–**184 MV Act** में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

1.**अभियुक्त हसनू को** मुकदमा अपराध संख्या **60/2015**, अंतर्गत धारा–**279, 304A** भारतीय दंड सहिता 1860 व धारा–**184 MV Act** थाना–महाराजगंज तराई ,के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

2. अभियुक्त दौरान विचारण जमानत पर रहेहैं। अतः उनसे द्वारा निष्पादित बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

3. अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

4. दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

7/7

पंजीयन संख्या –UPBP040005042021/2015

मुकदमा अपराध संख्या –60/2015

राज्य बनाम हसनू

8

दिनांक–05.05.2022

(शशि गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय
J.O. Code–UP3642
कक्ष संख्या–12
बलरामपुर

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

1. पत्रावली लंच बाद पेश हुयी।

2. सिद्धदोष हसनू को न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित हैं।

3.सिद्धदोष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत दिया गया कि सिद्धदोष का यह प्रथम अपराध है। सिध्ददोष एक गरीब एवं मजदूर पेशा व्यक्ति है अतः उन्हें कम से कम दंड से दंडित किया जाए या परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देते हुए उसे छोड़ दिया जाये। इसके अतिरिक्त कोई अन्य तर्क सिध्ददोष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा नही किया गया।

4.विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा सिध्ददोष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा सजा के संबंध में दिये गये तर्क का खण्डन करते हुए याचना गई कि सिध्ददोष को अधिक से अधिक सजा दी जाये।

5. मेरे द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 व 361 तथा आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम,1958 की धारा 3 व 4 के प्रावधानों का सम्यक रूप से अवलोकन किया गया। उपरोक्त समस्त अवलोकन व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा दिये गये तर्क एवं सिध्ददोष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह स्पष्ट होता है **सिद्धदोष हसनू** जो कि एक पेशेवर ड्राइवर है के द्वारा जिस प्रकार से उपेक्षापूर्ण, लापरवाही पूर्ण एवं खतरनाक तरीके से लोकमार्ग पर वाहन को चलाकर वादी मुकदमा के 13 वर्षीय बेटे को टक्कर मारी गई। जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई,यह सिद्धदोष की अत्यन्त लापरवाही का घोतक है और यदि ऐसी स्थिति में **सिद्धदोष हसनू** को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाता है तो न्याय का उद्देश्य विफल हो जयेगा। उपरोक्त समस्त विश्लेषण से न्यायालय के अभिमत में सिद्धदोष को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 तथा आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम,1958 की धारा 3 व 4 के प्रावधानों का लाभ देते हुए सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ा जाना न्यायसंगत नहीं होगा।

आदेश

1.सिद्धदोष हसनू को मुकदमा अपराध संख्या 60/2015, अंतर्गत धारा–279 मे 3 माह के साधारण कारावास से एवं ₹500 जुर्माने से दंडित किया जाता है।

2. सिद्धदोष हसनू को मुकदमा अपराध संख्या 60/2015, अंतर्गत धारा–304A भारतीय दंड सहिता 1860 मे 6 माह के साधारण कारावास से एवं ₹500 जुर्माने से दंडित किया जाता है।

3. सिद्धदोष हसनू को मुकदमा अपराध संख्या 60/2015, अंतर्गत धारा–184 MV Act के आरोप में ₹1000 जुर्माने से दंडित किया जाता है।

4. सिद्धदोष की सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

5. सिद्धदोष को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।
6.सिद्धदोष हसनू को यह जानकारी दी गई है कि उन्हें इस निर्णय / आदेश के विरुद्ध अपील योजित करने का अधिकार है तथा इस हेतु यदि वे अपना अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ हो तो, नियमानुसार निःशुल्क अधिवक्ता की सेवा सरकारी खर्च पर प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 05.05.2022

(शशि गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय
J.O. Code–UP3642
कक्ष संख्या–12
बलरामपुर

Self attested